



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 915/मास्ट 2 प्लान (सीम-2)/2026

दिनांक 25/03/2026

“सार्वजनिक सूचना”

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री मुंशीराम द्वारा खसरा संख्या- 945 व 946 स्थित ग्राम-सरना, मुरादनगर, तहसील-मोदीनगर, गाजियाबाद की भूमि के 1172.76 वर्ग मी० क्षेत्रफल पर पेट्रोल पम्प का मानचित्र आवेदन संख्या- GDA/BP/25-26/0509 स्वीकृत किये जाने हेतु ऑन लाइन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा पेट्रोल पम्प की भूमि को लाल रंग से डिमार्क पर टोटल स्टेशन सर्वे व सेटलाईट इमेज को स्वप्रमाणित करते हुए स्थल चित्र के अनुसार संदर्भित स्थल का भू-उपयोग 60 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग के मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त 30 मी० चौड़ी हरित पट्टी एवं अवशेष भाग आवासीय न्यून घनत्व के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 के अनुसार हरित पट्टी भू-उपयोग में “पेट्रोल/डीजल पम्प” क्रिया अनुमत्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

नगर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण